राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2004/198/करौली

1– रमजानी (मृतक) पुत्र कजोडी जरिये कायम मुकाम :–
1/1– मु. शहजादी पत्नि रमजानी
1/2– अंतग पुत्र रमजानी
1/3– रफीक पुत्र रमजानी
1/4– मदीना पुत्री रमजानी
1/5– महरून पुत्री रमजानी
समस्त जाति मुसलमाना निवासी ग्राम जटनगला तहसील हिण्डौन जिला करौली।

2–सरफू (मृतक) पुत्र कजोडी जरिये कायम मुकाम :–
2/1– मु. जमीला पत्नि सरफू
2/2– भूरा पुत्र सरफू
2/3– नूरदीन पुत्र सरफू
2/4– उस्मान पुत्र सरफू
2/5– चन्दा पुत्री सरफू
समस्त जाति मुसलमाना निवासी ग्राम जटनगला तहसील हिण्डौन जिला करौली।

3– अल्लानूर पुत्र कजोडी
4– रजन पुत्र कजोडी
समस्त जाति मुसलमान निवासी जटनगला तहसील हिण्डौन जिला करौली।

.....**अपीलान्ट**

बनाम

1– अमरसिंह पुत्र मंगल जाति जाट निवासी जटनगला तहसील हिण्डौन जिला करौली।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डौनसिटी जिला करौली।
3– हरिसिंह पुत्र जियालाल, जाति जाट, निवासी जटमंगला, तहसील हिण्डौन जिला करौली।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3
अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं,

दिनांक : 11–12–2019

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30–12–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी / वादीगण ने एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के समक्ष धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अप्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि साबिक आराजी खसरा नम्बर–592 एक बड़ा रकबा वाला खसरा था जिसमें से वादीगण को 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि आबंटित हुई थी जिसके खसरा नम्बर–592/1/1/25 था। भू प्रबन्ध विभाग ने इसके नये खसरा नम्बर–1262 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1264 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1265 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1266 रकबा 0.08 हैक्टेयर व 1266/1471 रकबा 12 एयर किता 5 रकबा 0.92 हैक्टेयर बने। आराजी खसरा नम्बर–1266/1471 रकबा 12 एयर को प्रतिवादी संख्या–3 अमरसिंह के नाम कर दिया। उक्त खसरा नम्बर–1266/1471

साबिक खसरा नम्बर 592/1/1/25 का ही भाग है। उक्त खसरा नम्बर पर विपक्षी का नाम दर्ज होने के कारण वह वादीगण को बेदखल करने की धमकी देता है अतः उक्त खसरा नम्बर–1266/1471 पर वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या–3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये।

3– विचारण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी ने अपना जवाबदाव प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार किया। वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने 5 तनकीयात कायम की। विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों की साक्ष्य दर्ज करते हुये अपने निर्णय दिनांक 26–4–2003 द्वारा वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी / वादीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे निर्णय दिनांक 30–12–2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30–12–2003 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– हरिसिंह पुत्र जियालाल ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री रमजान मोहम्मद अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा–151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसका पूर्व में निस्तारण नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी इस निर्णय के साथ किया जा रहा है।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर–592 एक बहुत बड़ा रकबा था जिसमें अपीलार्थी का खसरा नम्बर–592/1/1/25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा है जो कि

अपीलार्थी के कब्जे काश्त में है तथा जिसमें अपीलार्थी ने ट्यूबवैल लगाया है। साबिक आराजी खसरा नम्बर–592 के 5 नये खसरा नम्बर बनाये हैं। अपीलार्थी का रकबा 92 एयर था, लेकिन उसे केवल 80 एयर रकबा दिया गया एवं आराजी खसरा नम्बर–1266/1471 रकबा 12 एयर को विपक्षी के खाते में दर्ज कर दिय गया है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 का निर्णय अपीलार्थी / वादीगण के पक्ष में किया लेकिन तनकी संख्या–2 व 3 का निर्णय गलत व बिना किसी आधार पर किया गया है। प्रतिवादी की साबिक आराजी 2 बीघा 13 बिस्वा थी जिससे 65 एयर बनते हैं। उनके खाते में खसरा नम्बर–1266/1471 रकबा 12 एयर अधिक दर्ज कर दिया है जिसे प्रतिवादी के खाते से कम कर वादीगण के खाते में दर्ज किया जाये। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय आदेश–41 नियम–31 सीपीसी के तहत नहीं होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकर कर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 30–12–2003 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, हिन्डौन का निर्णय दिनांक 26–4–2003 निरस्त किया जाये। अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सीपीसी पर बहस करते हुये कहा कि वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

6– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 ने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा–151 सीपीसी के संबंध में बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर–1266/1471 रकबा 0.12 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या–1 अमरसिंह से जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 21–6–2002 क्रय कर लिया है और वह मौके पर काबिज काश्त है। वादीगणने खसरा नम्बर–1266/1471 पर अनुतोष चाहा है अतः उक्त खसरा नम्बर में हित निहित होने के कारण प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाये। इसके बाद बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत तथ तर्कसंगत है जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि 3 बीघा 3 बिस्वा थी जिसके 80 एयर बनते हैं और इतना ही रकबा उनकी खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, लेकिन अपीलार्थीगण विपक्षी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर–1266/1471 को जबरन हड़पना

चहते हैं। मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त बताया है। अतः अपील में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील खारिज योग्य है।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

8– प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा–151 सीपीसी का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रार्थी का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर–1266/1471 रकबा 12 ऐयर उसने प्रतिवादी संख्या–1 अमर सिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया है और वह इस पर काबिज काश्त है। पटवारी हल्का जटनंगला ने अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''मौके पर हाजिर अमरसिंह ने इस नम्बर (अर्थात खसरा नम्बर–1266/1471) को हरिसिंह पुत्र जियालाल को कब्जा सहित विक्रय करना जाहिर किया।'' इस प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर–1266/1471 पर प्रार्थी हरिसिंह पुत्र जियालाल का हित निहित होने के कारण प्रकरण में वह आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थी हरिसिंह को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 पर पक्षकार बनाया जाता है। संशोधित उनवान प्रस्तुत किया जाये।

9– विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की :–

(1) आया साबिक खसरा नम्बर–592/1/1/25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। .....वादी

(2) आया साबिक खसरा नम्बर–592/1/1/25 के स्थान पर नवीन खसरा नम्बर–1262, 1264,

1265, 1266 व 1266/1471 कुल किता 5 कुल रकबा 92 एयर मौके पर बनाये हैं। जिनमें 13 एयर रकबा गलत बढ़ा कर दर्ज किया है।

.....वादी

(3) आया आराजी नम्बर–1266/1471 रकबा 12 एयर वादीगण की ममलूका मकबूजा आराजी है और सेट्लमेन्ट द्वारा प्रतिवादी नम्बर–3 के नाम खातेदारी कर गलत इन्द्राज कर दिया हैं। ...वादी

(4) आया जवाब दावा के मद नम्बर 9 के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं है। .....प्रतिवादी

5– अन्य दादरसी क्या होगी ?

10– विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित करते हुये अपीलार्थी/वादीगण का दावा खारिज कर दिया जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय, राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना करते हुये निर्णय दिनांक 30–12–2003 द्वारा अपील खारिज कर दी एवं विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखा।

11– राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2037–40 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–592/1/1/25 रकब 3 बीघा 3 बिस्वा अपीलार्थी / वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। भू प्रबन्ध के पश्चात की जमाबन्दी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–1262 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1264 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा

नम्बर–1265 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1266 रकबा 0.08 हैक्टेयर किता 4 रकबा 80 एयर पर अपीलार्थी / वादीगण की खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी / वादीगण का साबिक खसरा नम्बर–3 बीघा 3 बिस्वा था जिसके 79 एयर बनते हैं और बन्दोबस्त के पश्चात बने नये चारों खसरा नम्बर का रकबा 80 एयर बना है जो कि साबिक के मुकाबले एक एयर अधिक बनाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी / वादीगण का यह कथन कि उसका रकबा कम कर दिया गया है, सही नहीं है।

12– साबिक खसरा नम्बर–592 एक बड़ा रकबा था जिससे कई खसरा नम्बर बने। प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर–592/1/1/25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर–1262 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1264 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1265 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–1266 रकबा 0.08 हैक्टेयर किता 4 रकबा 80 हैक्टेयर बने हैं। अतः मिलान क्षेत्रफल से भी यह साबित है कि साबिक रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा से रकबा 0.80 हैक्टेयर बनना चाहिये था और इतना ही बना है। अतः जब साबिक व हाल रकबा वादीगण/अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तो विवाद का कोई कारण नहीं है।

13– प्रदर्श डी–1 जमाबन्दी संवत 2037–40 के अनुसार किता 17 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा पर प्रतिवादी / अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र मंगल सिंह दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श डी–2 जमाबन्दी जो बन्दोबस्त के बाद की है, के 17 किता रकबा 4.42 हैक्टेयर पर अमरसिंह की खातेदारी दर्ज है। इस जमाबन्दी में खसरा नम्बर–1266/1471 रकबा 12 एयर भी शामिल है। साबिक रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा का 4.75 हैक्टेयर रकबा बनना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी का रकबा 12 एयर सहित 4.42 हैक्टेयर ही दर्ज

हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी / प्रतिवादी की खातेदारी में गत के मुकाबले कम रकबा ही दर्ज है, अधिक नहीं है।

14– मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13–8–2002 पटवार हल्का जटनंगला के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 1266/1471 रकबा 12 एयर पर प्रतिवादी / अप्रार्थी अमरसिंह का ही कब्जा है। मौके पर बाजरे की फसल उगी हुई है। यह रिपोर्ट उभय पक्ष और पड़ौसियों की उपस्थिति में तैयार की गई थी और इस पर उभय पक्षों के हस्ताक्षर भी हैं। अतः इस रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–1266/1471 पर अप्रार्थी का ही कब्जा है। राजस्व रिकार्ड में भी उक्त खसरा नम्बर अप्रार्थी की खातेदारी में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर हरिसिंह पुत्र जियालाल, अप्रार्थी संख्या–3 को विक्रय कर दी है तथा उसे कब्जा भी सौप दिया है अतः अब इस खसरा नम्बर–1266/1471 पर अप्रार्थी संख्या–3 काबिज काश्त है।

15– अतः उपर्युक्त राजस्व रिकार्ड व मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर–1266/1471 विपक्षी हरिसिंह पुत्र जियालाल की क्रयशुदा भूमि है और मौके पर भी उसका ही कब्जा है। इस प्रकार अपीलार्थी / वादीगण का यह कथन कि आराजी खसरा नम्बर–1266/1471 उनकी खातेदारी का खसरा नम्बर था जिसे प्रतिवादी / अप्रार्थी के खाते में दर्ज कर दिया गया, सही साबित नही होता है। राजस्व रिकार्ड व गवाहों के बयान के आधार पर अपीलार्थी / वादीगण की अपील ठोस तथ्यों के अभाव में सिद्ध नहीं हो पायी है।

16– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का भली–भांति विवेचन कर प्रत्येक तनकी का पूर्ण विश्लेषण किया है और तनकीवार निर्णय प्रदान किया

है। इसी प्रकार विद्वान राजस्व अपील प्राधिकरी, सवाई माधोपुर ने भी राजस्व रिकार्ड, गवाहों के बयानों तथा पर्चा मौका का पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलाधीन निर्णय आदेश–41 नियम–31 सीपीसी के अनुसार नहीं है, सही नहीं है। हमारा विनम्र मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुये तथा राजस्व रिकार्ड, गवाहों के बयान व मौका पर्चा रिपोर्ट को दृष्टिगत करते हुये द्वितीय अपील के माध्यम से इनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

17– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष